

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1270

जिसका उत्तर 14 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है।
23 अग्रहायण, 1944 (शक)

इलेक्ट्रॉनिक सामानों का विनिर्माण

1270. श्रीमती रंजनबेन भट्ट :

श्री मलूक नागर :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत से विनिर्मित और निर्यात किए गए इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात को बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;
- (ग) देश में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) देश में 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत कितनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां शुरू की गई हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) : भारत सरकार का लक्ष्य अपने आत्मनिर्भर भारत की आर्थिक नीतियों के हिस्से के रूप में भारत को एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण केंद्र बनाना है। इसके परिणाम स्वरूप, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात दोनों में काफी वृद्धि हुई है। निर्मित और निर्यात किए गए इलेक्ट्रॉनिक सामानों का विवरण यहां दिया गया है:

(मूल्य करोड़ रुपये में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
उत्पादन*	3,88,306	4,58,006	5,33,550	5,44,461	6,40,810
निर्यात	41,220	61,908	82,929	81,822	1,09,797

*स्रोत: उद्योग संघ

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस)

(ख) तथा (ग) : भारत सरकार का लक्ष्य देश के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक और सुदृढ़ बनाना है। इस मोड़ पर, इलेक्ट्रॉनिकी पर राष्ट्रीय नीति 2019 (एनपीई 2019) भारत को चिपसेट सहित मुख्य कल-पूर्वों के विकास के लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित करने और चलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए एक

वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने और उद्योग के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने की कल्पना रखती है।

देश में अर्धचालकों सहित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं के तहत निम्नलिखित प्रोत्साहनों को अधिसूचित किया गया है:

- i. बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को 1 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित किया गया था। पीएलआई योजना भारत में निर्मित लक्षित खंडों के तहत पात्र कंपनियों को माल की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष पर) पर 6% से 4% तक का प्रोत्साहन आधार वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20) के बाद पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए देती है। योजनान्तर्गत प्रोत्साहन दिनांक 01.08.2020 से लागू है।

पीएलआई योजना की अवधि के दौरान, 16 अनुमोदित कंपनियों से 10,50,000 करोड़ रुपये (10.5 लाख करोड़ रुपये) से अधिक का कुल उत्पादन होने की उम्मीद है। अगले 5 वर्षों में 10,50,000 करोड़ रुपये के कुल उत्पादन में से, लगभग 60 % योगदान 6,50,000 करोड़ रुपये (6.5 लाख करोड़ रुपये) के ऑर्डर के निर्यात से होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत अनुमोदित कंपनियों से इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में 11,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश आने की उम्मीद है।

मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण में निवेश को आकर्षित करने में पीएलआई योजना के पहले दौर की सफलता के बाद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रोत्साहित करने के लिए 11.03.2021 को बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना का दूसरा दौर शुरू किया गया। दूसरे दौर में पात्र कंपनियों को भारत में निर्मित और लक्षित खंड के तहत कवर किए गए सामानों की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष यानी वित्त वर्ष 2019-20 पर) पर चार वर्ष की अवधि के लिए 5% से 3% तक प्रोत्साहन दिया गया है। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना के दूसरे दौर में 16 कंपनियों को मंजूरी दी गई है।

दूसरे दौर की अवधि के दौरान, 16 अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माताओं से 12,432 करोड़ रुपये तक का कुल उत्पादन होने की उम्मीद है। योजना के दूसरे दौर से इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में 573 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश आने की उम्मीद है।

- ii. **आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई) को 3 मार्च, 2021 को अधिसूचित किया गया।** पीएलआई योजना लक्षित सेगमेंट में भारत में निर्मित माल की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष यानी वित्त वर्ष 2019-20 पर) पर 4% से 2% / 1% का प्रोत्साहन चार साल की अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25) के लिए पात्र कंपनियों को देती है। योजना के तहत लक्षित आईटी हार्डवेयर सेगमेंट में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) और सर्वर शामिल हैं। योजना के तहत प्रोत्साहन दिनांक 01.04.2021 से लागू है। आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के अन्तर्गत 14 कंपनियों को मंजूरी दी गई है।

योजना की अवधि के दौरान, योजना के तहत स्वीकृत 14 कंपनियों से लगभग 1,60,000 करोड़ रुपये का कुल उत्पादन होने की उम्मीद है। 1,60,000 करोड़ रुपये के कुल उत्पादन में से अगले 4 वर्षों में, 60,000 करोड़ रुपये के निर्यात के ऑर्डर से 37% से अधिक का योगदान होने की उम्मीद है। इस योजना से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 2,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश आने की उम्मीद है।

- iii. **इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालकों (स्पेक्स) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना 1 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित की गई।** एपीईसीएस योजना इलेक्ट्रॉनिक सामानों की पहचान की गयी सूची जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों यानी, पूर्वोक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक घटक, सेमीकंडक्टर/डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट, एटीएमपी यूनिट, विशेष सब-असेंबली और पूंजीगत सामान की डाउनस्ट्रीम मूल्य श्रृंखला शामिल है, के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह योजना 31.03.2023 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली है। एपीईसीएस योजना की अवधि के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सब-एसेम्बलिस में नया निवेश 20,000 करोड़ रुपये होने की अपेक्षा है। योजना की

कुल रोजगार क्षमता लगभग 6,00,000 (1,50,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 4,50,000 अप्रत्यक्ष रोजगार) है।

- iv. **संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना** को 1 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित किया गया। ईएमसी 2.0 योजना देश में अपनी उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को उनकी आपूर्ति श्रृंखला के साथ आकर्षित कर रेडी बिल्ट फैक्ट्री (आरबीई) शेड/प्लग एंड प्ले सुविधाओं सहित सामान्य सुविधाओं और सुविधाओं के साथ-साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करती है। यह योजना राज्य सरकार या उनकी एजेंसी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (सीपीएसयू)/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (एसपीएसयू), औद्योगिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (आईसीडीसी) या एंकर यूनिट वाले ऐसी एजेंसियाँ या औद्योगिक पार्क डेवलपर्स के साथ संयुक्त उद्यम जैसी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से ईएमसी परियोजनाओं के साथ-साथ सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) दोनों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ईएमसी 2.0 योजना के तहत, भारत सरकार से 889.02 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता सहित 1902.69 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ 1,337 एकड़ के क्षेत्र को कवर करने वाले 3 ईएमसी आवेदनों को मंजूरी दी गई है। ये ईएमसी लगभग 20,910 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने के लिए तैयार हैं और कार्य संचालन के बाद 51,520 रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता रखते हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिए 205.24 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

v. **संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एमएसआईपीएस) -** देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जुलाई 2012 में एमएसआईपीएस की घोषणा की गई। इसे दो बार - अगस्त, 2015 और जनवरी, 2017 में संशोधित किया गया है, और मुख्य रूप से 20-25% की कैपेक्स सब्सिडी प्रदान करते हैं। नए आवेदन प्राप्त करने के लिए इसे 31 दिसंबर, 2018 को बंद कर दिया गया है इस योजना में 89194 करोड़ करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाले 320 आवेदन विचाराधीन हैं। इन 320 आवेदनों में से 86,904 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश और 9,566 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध प्रोत्साहन वाले 315 आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है। 1917.09 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है। 315 स्वीकृत इकाइयों में से 271 इकाइयों ने 33,506 करोड़ रुपये का निवेश किया है और 242 इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। अब तक सृजित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार 3,45,571 है। उत्पादन के तहत इकाइयों से कुल बिक्री (घरेलू और निर्यात) 6,63,274 है करोड़ रुपये जिसमें 1,06,740 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है।

vi. **सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम**
केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने दिनांक 15.12.2021 को सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये (> 10 बिलियन अमरीकी डॉलर) के परिव्यय के साथ एक व्यापक कार्यक्रम को मंजूरी दी। मंत्रीमंडल की मंजूरी से इस कार्यक्रम को हाल ही में दिनांक 21.09.2022 को संशोधित किया गया है। संशोधित कार्यक्रम प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ-साथ कम्पाउंड सेमिकंडक्टर, पैकेजिंग और अन्य सेमिकंडक्टर सुविधाओं हेतु सेमिकंडक्टर फैब के लिए समान रूप से परियोजना लागत का 50% वित्तीय समर्थन प्रदान करता है।

पात्र आवेदकों के लिए अब निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध हैं:

- **फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना :** यह देश में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सभी प्रौद्योगिकी नोड्स में सिलिकॉन आधारित सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिए परियोजना लागत के 50% का वित्तीय सहायता उपलब्ध है।
- **इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए देश में टीएफटी एलसीडी या एएमओएलईडी आधारित डिस्प्ले पैनल के निर्माण के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना।** योजना ने भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए सामान आधार पर परियोजना लागत के 50% तक वित्तीय सहायता का प्रदान करता है।
- **भारत में कम्पाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब /डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना :** यह भारत में कम्पाउंड सेमीकंडक्टर्स/ सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर (एम्ईएमएस सहित) फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाएं की स्थापना के लिए पात्र आवेदकों को पूंजीगत व्यय के 50% का वित्तीय समर्थन प्रदान करता है।
- **डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना:** यह आईसी, चिपसेट, एसओसी, सिस्टम और आईपी कोर और सेमीकंडक्टर से जुड़े डिजाइन के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन के विकास और तैनाती के विभिन्न चरणों में वित्तीय प्रोत्साहन, डिजाइन बुनियादी ढांचा

समर्थन प्रदान करती है। यह योजना "प्रोडक्ट डिज़ाइन लिंकड इंसेंटिव" और "डिप्लॉयमेंट लिंकड इंसेंटिव" दोनों प्रदान करती है।

ऊपर उल्लिखित योजनाओं के अंतर्गत दर्शाए गए प्रोत्साहनों के अलावा, सरकार ने देश में निर्यात और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय/कदम उठाए हैं। देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और निर्यात के विस्तार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(घ) : पूरे देश में ईएसडीएम क्षेत्र के विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु कुल 333 कंपनियां 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं।

*** ****

देश में अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात के साथ इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के विस्तार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

1. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से बिना किसी कठिनाई के विनिर्माण एवं ट्रेडिंग को सक्षम बनाने हेतु स्थापित किए गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) इकाइयां निर्यात में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
2. निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) : निर्यातित उत्पादों के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया में लगने वाले वर्तमान में गैर-वापसी वाले केंद्रीय, राज्य और स्थानीय करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति की योजना को 01.01.2021 से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) एडवायजरी के माध्यम से प्रभावी कर दिया गया है। ऐसे करों के प्रमुख घटक परिवहन/वितरण में प्रयुक्त ईंधन पर विद्युत शुल्क और वैट हैं। यह योजना सीबीआईसी द्वारा ऑनलाइन वातावरण में कार्यान्वित की जा रही है।
3. इलेक्ट्रॉनिकी विकास निधि (ईडीएफ़): इलेक्ट्रॉनिकी विकास निधि (ईडीएफ़) को पेशेवर रूप से प्रबंधित "डॉटर फंड्स" में भाग लेने के लिए "फंड ऑफ फंड्स" के रूप में स्थापित किया गया है, जो बदले में स्टार्टअप्स और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्र में नई तकनीकों को विकसित करने वाली कंपनियों को जोखिम पूंजी प्रदान करेगा। इस कोष से इन प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
4. **100% एफडीआई:** मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण (भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों को छोड़कर) के लिए लागू कानूनों/विनियमों, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति है।
5. **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी)** को मोबाइल फोन और उनके सब-एसेंबली/पुर्जों के निर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित किया गया है। परिणामस्वरूप, भारत ने तेजी से इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना शुरू कर दिया है और देश में महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षमताएं स्थापित की गई हैं। मोबाइल फोन का निर्माण धीरे-धीरे सेमी नॉकड डाउन (एसकेडी) से कंप्लीटली नॉकड डाउन (सीकेडी) स्तर की ओर बढ़ रहा है, जिससे घरेलू मूल्यवर्धन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।
6. इलेक्ट्रॉनिक सामानों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए **टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाया गया है**, जिसमें अन्य बातों के अलावा, सेलुलर मोबाइल फोन, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक घटक, टीवी के लिए सेट टॉप बॉक्स, एलईडी उत्पाद और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण शामिल हैं।
7. **पूंजीगत माल पर बुनियादी सीमा शुल्क से छूट:** निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्माण के लिए अधिसूचित पूंजीगत सामान को "शून्य" बुनियादी सीमा शुल्क पर आयात करने की अनुमति है।
8. **प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी का सरलीकृत आयात:** इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग द्वारा उपयोग के लिए कम से कम 5 वर्ष के अवशिष्ट जीवन वाले पुराने संयंत्र और मशीनरी के आयात को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 11.06.2018 की अधिसूचना के तहत खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियमावली 2016 में संशोधन के माध्यम से सरल बनाया गया है।।

9. उम्र बढ़ने के प्रतिबंध में ढील: राजस्व विभाग ने अधिसूचना संख्या 60/2018-सीमा शुल्क दिनांक 11.09.2018 के तहत अधिसूचना संख्या 158/95- सीमा शुल्क दिनांक 14.11.1995 में संशोधन किया है, जिसमें भारत में निर्मित और मरम्मत या रिक्डीशनिंग के लिए भारत में फिर से आयातित निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए आयु सीमा प्रतिबंध को 3 वर्ष से 7 वर्ष तक छुट दे दिया गया है।
10. सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 : 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने और आय और रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) आदेश दिनांक 15.06.2017 और बाद के संशोधन आदेश दिनांक 28.05.2018, 29.05.2019, 04.06.2020 और 16.09.2020 द्वारा सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 जारी की है। पूर्वोक्त आदेश को आगे बढ़ाने में, एमईआईटीवाई (एमईआईटीवाई) ने दिनांक 07.09.2020 के अधिसूचना के तहत 13 इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र को अधिसूचित किया है। स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद के लिए, (i) डेस्कटॉप पीसी, (ii) कम सक्षम ग्राहक, (iii) कंप्यूटर मॉनिटर, (iv) लैपटॉप पीसी, (v) टैबलेट पीसी, (vi) डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, (vii) संपर्क और संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड, (viii) एलईडी उत्पाद, (ix) बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल/ऑथेंटिकेशन डिवाइस, (x) बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर, (xi) बायोमेट्रिक आइरिस सेंसर, (xii) सर्वर, और (xiii) सेल्युलर मोबाइल फोन।
11. अनिवार्य पंजीकरण आदेश (सीआरओ) : एमईआईटीवाई (एमईआईटीवाई) ने भारत में घटिया और असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात पर अंकुश लगाकर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य अनुपालन हेतु "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012" अधिसूचित किया है। सीआरओ के तहत 63 उत्पाद श्रेणियों को अधिसूचित किया गया है और यह आदेश सभी उत्पाद श्रेणियों पर लागू है।

*** **